न्यायालय–विशेष न्यायाधीश, पॉक्सों एक्ट/अपर सत्र न्यायाधीश, बलरामपुर।

आपराधिक प्रकीर्ण वाद सं0–291/2022

सरकार प्रति शेषराम।

धारा–344 दं0प्र0सं0
थाना–हर्रैया
जिला–बलरामपुर।

12.11.2022

पत्रावली आज मासिक राष्ट्रीय लोक अदालत में पेश हुयी।

वादी मुकदमा शेषराम की ओर से स्वेच्छया जुर्म स्वीकार करते हुए मामला समाप्त करने के लिए लिखित प्रार्थना पत्र कागज संख्या 5क प्रस्तुत किया गया।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

विशेष आपराधिक वाद संख्या–20/2021, राज्य प्रति दद्दन उर्फ नेवाज के मुकदमें में वादी मुकदमा शेषराम के पक्षद्रोही साक्ष्य देने के कारण धारा 344 दं0प्र0सं0 की पत्रावली निर्मित कर, उन्हें नोटिस जारी किया गया था। वादी मुकदमा शेषराम की ओर से यह निवेदन किया गया है कि वह गरीब हैं तथा मुकदमा लड़ पाने में असमर्थ है तथा अपना स्वेच्छया जुर्म स्वीकार करता है, अतः उसे कम से कम जुर्माना से दण्डित किया जाय।

मामले में शेषराम वादी मुकदमा है और यह आपराधिक प्रकीर्ण मामला संक्षिप्त रूप से विचारणीय है। आज न्यायालय के समक्ष स्वेच्छया जुर्म स्वीकार किये जाने का कथन किया है। अतएव वादी मुकदमा के निवेदन एवं मामले के तथ्य व परिस्थितियों में वादी मुकदमा शेषराम को धारा 344 दं0प्र0सं0 के अंतर्गत दोषसिद्ध किया जाता है।

आदेश

वादिनी मुकदमा शेषराम को धारा 344 दं0प्र0सं0 के अंतर्गत दोषसिद्ध करते हुए उसे अंकन 500/–रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड की धनराशि अदा न करने पर वादी मुकदमा शेषराम 15 दिवस के साधारण कारावास की सजा भोगेंगा।

पत्रावली नियमतः अभिलेखागार प्रेषित हो।

दिनांकः12.11.2022

(महेन्द्र नाथ)
विशेष न्यायाधीश, (पॉक्सो एक्ट)/
अपर सत्र न्यायाधीश, बलरामपुर
आई0डी0 नं0–यू.पी.–5898

Digitally signed by MAHENDRA NATH
Date: 2022.11.16 16:04:50 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court